1250

पत्रांक :–RUSA/EGOV-3/2020/HTESD 427/बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 20/03/2024

**विषयः–** **झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखण्ड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली अधिष्ठापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory Services) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में NISG का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय कुल अधिकतम राशि ₹ 74,24,000/–(चौहत्तर लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र (कर सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 13,68,800/– (तेरह लाख अड़सठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र की निकासी के सम्बन्ध में।**

**प्रसंग –** **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 250/बजट दिनांक 06.10.2021**

आदेश – स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को डिजीटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हुए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली अधिष्ठापित करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्था के अधिष्ठापन के उपरान्त सभी विश्वविद्यालयों में एक समरूपी प्रबन्धन व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी जिसके फलस्वरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय के द्वारा किये जा रहे प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्यों में एकरूपता आएगी।

2. विभागीय संकल्प संख्या 220 दिनांक 15.02.2021 द्वारा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखण्ड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली अधिष्ठापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory Services) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में NISG का मनोनयन के आधार पर चयन किया गया है।

3. NISG के द्वारा निम्नलिखित तकनीकी सेवा प्रदान की जायेगी –

3.1. विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासकीय कार्यों, मानव सम्पदा प्रबंधन एवं विद्यार्थी प्रबंधन की वर्तमान कार्यप्रणाली, प्रयोग की जा रही तकनीक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं की स्थिति का अध्ययन।

3.2. डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में किए गए सर्वोत्तम समाधानों का अध्ययन।

3.3. प्रस्तावित व्यवस्था के अधिष्ठापन के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण।

3.4. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं संभावित प्राक्कलन तैयार करना।

3.5. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन पर अनुमोदनोपरान्त निविदा दस्तावेज तैयार करना, निविदा मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन एजेंसी के चयन में सहयोग।

3.6. परियोजना के कार्यान्वयन के समग्र अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न विशेषज्ञों से सन्निहित परियोजना प्रबन्धन ईकाई का संयोजन एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यों को सुनिश्चित करना।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 26.00 करोड़ (छब्बीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 76.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

1249



5. उपर वर्णित कार्यों के लिए संकल्प संख्या 220 दिनांक 15.02.2021 की कंडिका–5 में अंकित यथा विहित रीति से निर्धारित समयानुसार राशि का भुगतान किया जायेगा।

NISG को प्रदान की जानेवाली सेवाओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा कुल सेवा राशि ₹ 58,00,000/– एवं उस पर देय कर (18% GST) ₹ 10,44,000/– तथा यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 5,80,000/– (₹ 58,00,000/– की 10 प्रतिशत की अधिसीमा) अर्थात कुल ₹ 74,24,000/–(चौहत्तर लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र (कर सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023–24 में 13,68,800/– ( तेरह लाख अड़सठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102 –विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203102BS010679) (स्कीम कोड–2107) एवं

"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203796BS010679) (स्कीम कोड–2107) के अंतर्गत होगा।"

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से National Institute for Smart Government (NISG) से Pre-receipt विपत्र प्राप्त कर Fully Vouched Bill के रूप में निकासी करेंगे तथा उक्त राशि का अंतरण RTGS/ Bank Draft के माध्यम से NISG के Bank Account No- 10222817153, State Bank of India, Hyderabad University Br. Gachibowli, IFSC Code- SBIN0005916 में किया जायेगा।

10. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

1248



ज्ञापांक– RUSA/EGOV-3/2020/HTESD 427/बज०२/राँची, दिनांक– 20/03/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– RUSA/EGOV-3/2020/HTESD 427/बज०२/राँची, दिनांक– 20/03/2024

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/Mr. Mojeebuddin Khan, Associate Vice President- Consulting, NISG/ Nodal Officer, NISG Project, Ranchi/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/24
( जार्ज कुमार )
सरकार के संयुक्त सचिव।